न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सन् 2023

अपील संख्या 13/23

GCMS NO-2023/153

बउनवानी:– 1. छोटया पुत्र चौथमल मीना निवासी ग्राम गरडवास तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 05/2023 निर्णय दिनांक 16.10.2023 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री श्रीदास सिंह राजावत — वकील अपीलान्ट

2. श्री तुलसीराम शर्मा — नायब तहसीलदार.(पैरोकार)

दिनांक 6.2.2024

–: निर्णय :–

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 05/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल किया जाकर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवांयी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2080 (खरीफ) मे वाके ग्राम गरडवास तहसील चौथ का बरवाडा की भूमि आराजी ख0न0 297 रकबा 0.30 है0, चरागाह भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जैर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूॅठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर केवल जोत ही लगा रखी थी। यह तर्क भी दिया उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल मे अतिक्रमण हटाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर मण्डल द्वारा अतिक्रमण हटाने की शर्त पर प्रार्थी की सजा माफ की गयी है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर सरसों की फसल वर्तमान मे काश्त की हुई है इसलिए उक्त फसल को काटने के बाद प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि ख0न0 297 रकबा 0.30 है0 पर से अपना कब्जा हटा लिया जावेगा। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया ... ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा में आदेश ... पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के ... अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में ... कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो ... व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली प... रा कोई साक्ष्य नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:42 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालंत मातहत द्वारा लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नही माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी दिया कि जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की स्वंय अपीलान्ट से करवायी गई तामील से हो जाती है। किन्तु अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से कब्जा हटा लेने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में अपना शपथ पत्र पेश किया गया है जिसपर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलान्ट की सजा इस शर्त पर खारिज की गयी है कि अपीलान्ट कब्जा छोडने बाबत एक शपथ पर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करे तथा अदालत मातहत द्वारा शपथ पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की जाकर ही अपीलन्ट की सजा माफ की जावे। अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाने पर शपथ पत्र में अंकित तथ्यों की तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा जॉच करवायी जाने पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा यथावत (सरसों की फसल) पायी गयी है। वर्तमान मे आदेश जैर अपील की पालना में अपीलान्ट को पुलिस थाना चौथ का बरवाडा द्वारा गिरफ्तार कर लिया है जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है इसलिए अपीलान्ट की सजा स्थिगित करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा यथावत है एवं माननीय राजस्व मण्डल एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि भी नही हुई है। ऐसी स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पेरौकार राजस्व' द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट को जारी नोटिस की पुश्त पर स्वंय अपीलान्ट से करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहॉ तक अपीलान्ट के पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर हो जाती है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि ख0न0 297 रकबा 0.30 है0 पर अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है इसलिए अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत शपथ पत्र एवं उक्त शपथ पत्र के आधार पर मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 मे दिये गये निर्देशों (मौके पर से कब्जा हटा लेने) की पुष्टि नही होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलान्ट एवं स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। निर्णय आज दिनांक 6.2.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner